

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 31-01-2011

सं० -3/एम०-114/2010 322 / बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 [समय-समय पर यथा संशोधित] के नियम -31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित विनियमावली बनाती है-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह विनियमावली बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोपपत्र का गठन विनियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

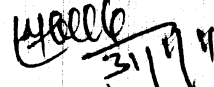
2. आरोप पत्र का गठन।- बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के उपनियम (3) के अधीन सुस्पष्ट आरोपपत्र लेखबद्ध करने या करवाने के लिए एक प्रपत्र होगा।

3. आरोप-पत्र का प्रपत्र।- आरोप-पत्र एक प्रपत्र में गठित किया जायेगा, जिसे प्रपत्र 'क' कहा जायेगा और संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार होगा।

4. आरोप का प्रारूपण।- (1) प्रत्येक आरोप/लांछन संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट एवं अलग-अलग क्रमांकों के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों का अभिकथन के रूप में होगा। अभिकथन में दिनांक, घटना का अवसर एवं अवचार या कदाचार की प्रकृति का उल्लेख आवश्यक होगा।

(2) आरोप-पत्र के साथ उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

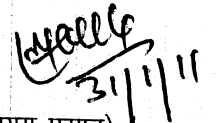


(सरयुग प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-3/एम०-114/2010-सा.- 322 /पटना, दिनांक 31 जनवरी 2011.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

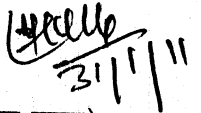


(सरयुग प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-3/एम0-114/2010-सा.- 322 /पटना, दिनांक 31 जनवरी 2011.

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं अनावश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त
सचिव।

परिशिष्ट-‘क’

[नियम -17 (3) तथा विनियम 3 द्रष्टव्य]

प्रपत्र ‘क’

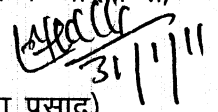
1. सरकारी सेवक का नाम --
2. पदनाम --
3. समूह --
4. वेतन बैंड/ग्रेड-पे --
5. जन्म तिथि --
6. सेवानिवृत्ति की तिथि --
7. आरोप/लांछन का अभिकथन --

आरोप संख्या	आरोप /लांछन का अभिकथन
-------------	-----------------------

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 31-01-2011

संख्या -3/एम०-114/2010 323 / अधिसूचना संख्या 322 दिनांक 31-01-2011 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

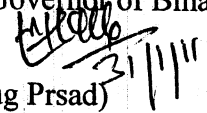
Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

No. 3/M-114/2010 322 / In exercise of powers conferred under rule-31 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time), the Government of Bihar makes the following Regulations –

1. **Short title, extent & commencement.**— (1) These Regulations may be called as the Bihar Framing of Articles of Charge against government servants Regulations, 2011.
(2) It shall extend to the whole State of Bihar.
(3) It shall come into force immediately.
2. **Framing of articles of charge.**— There shall be a proforma to draw up or to cause to be drawn up a definite and distinct articles of charge under subrule (3) of rule 17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).
3. **Proforma of articles of charge.**— The articles of charge shall be framed in a proforma, which shall be called as Proforma 'A' and shall be in accordance with the enclosed Appendix 'A'.
4. **Drafting of articles of charge.**— (1) Each charge/imputation shall be precise but specific and separately numbered in form of statement of relevant facts. It shall be necessary to mention the date, occasion and nature of the misconduct or misbehaviour in the statement..
(2) It shall be essential to enclose a list of such documents and a list of such evidences, by whom the articles of charge are proposed to be sustained.

By the order of the Governor of Bihar


(Saryug Prasad)
Joint Secretary to Government

Appendix 'A'

[See rule 17(3) and regulation 3]

PROFORMA 'A'

1. Name of Government Servent —
2. Name of Post —
3. Group —
4. Pay Band/Grade Pay —
5. Date of Birth —
6. Date of Retirement —
7. Statement of charges/ imputations —

Charge No.	Statement of Charges/ imputations